RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 288
दि. 19.02.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

सुप्रीम कोर्ट में ईडी और ममता सरकार आमने-सामने केंद्र-राज्य टकराव ने पकड़ा राजनीतिक और कानूनी मोड़

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पश्चिम बंगाल से जुड़े चर्चित I-PAC रेड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। एक ओर जहां प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य प्रशासन पर जांच में बाधा डालने और अपने अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगाया, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट शब्दों में कहा कि अदालत केवल तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय करेगी और यह अदालत ही तय करेगी कि इस मामले में कौन सही है और किसने कानून की सीमाओं का उल्लंघन किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को गंभीरता से सुना और फिलहाल मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भी इस मामले की सुनवाई कई बार टल चुकी है, लेकिन अब यह मामला संवैधानिक अधिकारों, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और संघीय ढांचे के संतुलन का बड़ा प्रश्न बन गया है।

पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब ईडी ने कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कार्यालय और उससे जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कथित तौर पर 2,742 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मामले में की गई थी। ईडी का आरोप है कि इस मामले में हवाला के माध्यम से लगभग 20 करोड़ रुपये I-PAC तक पहुंचाए गए थे, जिसकी जांच एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से कर रही है। इस मामले

की शुरुआत तब हुई थी जब केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नवंबर 2020 में इस घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच शुरू की।

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कहा कि 8 जनवरी 2026 को जब उसके अधिकारी कोलकाता में I-PAC के कार्यालयों पर तलाशी अभियान चला रहे थे, तब राज्य प्रशासन और पुलिस ने उनकी कार्रवाई में बाधा डाली। एजेंसी का आरोप है कि उसके अधिकारियों को घेर लिया गया, उन्हें अपना काम करने से रोका गया और यहां तक कि धमकाने की कोशिश भी की गई। ईडी ने यह भी कहा कि ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना संभव नहीं है, इसलिए मामले की जांच किसी अन्य केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जानी चाहिए।

इसके विपरीत पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत में जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा और कहा कि ईडी का यह दावा पूरी तरह गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। राज्य सरकार ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल विपक्ष शासित राज्यों को दबाने और वहां की निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत में कहा कि यह मामला केवल एक जांच का नहीं, बल्कि संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों की रक्षा का भी है।

इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे अधिक विवाद उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं I-PAC के कार्यालय पहुंच गईं। उनके वहां पहुंचने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और मीडिया में भी इस घटना की व्यापक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाहर निकलते समय कुछ फाइलें अपने साथ ले गईं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी ईडी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एजेंसी का मकसद राजनीतिक लाभ प्राप्त करना है, न कि कानून का पालन सुनिश्चित करना। पार्टी नेताओं ने कहा कि I-PAC उनकी चुनावी रणनीति से जुड़ी संस्था है और उसके खिलाफ कार्रवाई का समय और तरीका संदेह पैदा करता है।

दूसरी ओर ईडी ने अदालत में यह स्पष्ट किया कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह कानून के अनुसार और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। एजेंसी ने कहा कि उसका काम केवल वित्तीय अपराधों की जांच करना है और वह किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती। एजेंसी ने यह भी कहा कि यदि राज्य प्रशासन जांच में सहयोग नहीं करेगा, तो इससे कानून व्यवस्था और न्याय प्रक्रिया पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी और कहा कि जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी जांच एजेंसी को वास्तव में बाधा पहुंचाई गई है, तो यह गंभीर मामला है और इसकी जांच आवश्यक है। वहीं यदि एजेंसी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो यह भी उतना ही गंभीर विषय है।

इस मामले ने केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मामले केवल कानूनी विवाद नहीं होते, बल्कि इनका सीधा संबंध देश की राजनीतिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से भी होता है। विशेष रूप से ऐसे समय में जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इस मामले का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है।

अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत यह तय करेगी कि जांच किस एजेंसी द्वारा की जाएगी और क्या ईडी के आरोपों में कोई सच्चाई है या नहीं। अदालत का फैसला न केवल इस मामले के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि जांच एजेंसियों और राज्य सरकारों के अधिकारों की सीमा क्या है।

इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही हैं या फिर वे राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनती जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें जांच एजेंसियों के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं। इन सभी सवालों के जवाब अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेंगे, जो आने वाले समय में देश की जांच व्यवस्था और संघीय संतुलन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

राहुल गांधी पर रिजिजू का तीखा हमला, कहा—देश की सुरक्षा के लिए खतरा

(जीएनएस)। नई दिल्ली। केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें भारत की सुरक्षा के लिए "सबसे खतरनाक इंसान" बताया है। रिजिजू के इस बयान ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और सत्तापक्ष तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ऐसे लोगों और संगठनों के संपर्क में रहते हैं, जो भारत के हितों के खिलाफ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदार और संतुलित व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, लेकिन राहुल गांधी का रवैया इसके विपरीत है। उनके अनुसार, संसद और संसद के बाहर राहुल गांधी के बयान और गतिविधियां कई बार देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी नक्सलियों, उग्रवादियों और विदेशी प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क रखते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अमेरिकी कारोबारी और निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो भारत की नीतियों और

सरकार की आलोचना करते रहे हैं। रिजिजू के अनुसार, इस तरह के संपर्क और बयान देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए चिंता का विषय हैं। संसद में राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर भी रिजिजू ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और उसे सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी का आचरण कई बार "बचकाना और गैर-जिम्मेदाराना" दिखाई देता है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में और बाहर ऐसे कदम उठाते हैं, जिससे सदन की कार्यवाही प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में बाधा आती है। उन्होंने कहा कि संसद के बाहर लोगों को देशद्रोही कहना, सिट-इन प्रदर्शन करना और बिना प्रकाशित किताबों को लहराना जैसी गतिविधियां एक जिम्मेदार नेता के आचरण के अनुरूप नहीं हैं। उनके अनुसार, इस तरह के व्यवहार से संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठते हैं।

रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष का मुख्य उद्देश्य संसद में रचनात्मक चर्चा करना होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का ध्यान केवल हंगामा करने और सरकार के कामकाज में बाधा डालने पर केंद्रित रहता है। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी सदन में आते हैं, तो नारेबाजी और बैनरबाजी शुरू हो जाती है, जिससे संसद की कार्यवाही बाधित होती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रिजिजू का यह बयान आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और चुनावों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। देश में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं, और दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और अधिक गर्म कर सकते हैं। हालांकि, कांग्रेस की ओर से इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने पहले भी इस तरह के आरोपों को राजनीतिक और निराधार बताया है। कांग्रेस का कहना रहा है कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने और ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाती है। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच सहयोग और संवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। लेकिन मौजूदा बयानबाजी से यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव आने वाले समय में और बढ़ सकता है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है जितना मजबूत सरकार का होना। विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और जनता के मुद्दों को उठाना होता है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी देश के विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों के बीच संतुलन और संवाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है।

राज्यसभा चुनाव का बिगुल: सत्ता और विपक्ष के बीच 37 सीटों पर प्रतिष्ठा की जंग

(जीएनएस)। देश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है, क्योंकि संसद के उच्च सदन राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा ने राजनीतिक दलों की रणनीतियों और समीकरणों को नई दिशा दे दी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार इन सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान होगा, जिससे केंद्र की राजनीति और संसद के शक्ति संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। इन चुनावों को केवल नियमित प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे आगामी राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत देने वाला महत्वपूर्ण मोड़ भी समझा जा रहा है। इन 37 सीटों में महाराष्ट्र की सात, पश्चिम बंगाल और बिहार की पांच-पांच, तमिलनाडु की छह, ओडिशा की चार, असम की तीन, छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना की दो-दो तथा हिमाचल प्रदेश की एक सीट शामिल है। इन राज्यों की राजनीतिक स्थिति और विधानसभा में दलों की संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में सत्ताधारी दलों को बढ़त मिल सकती है, जबकि कुछ राज्यों में मुकाबला बेहद करीबी रहने की संभावना है। इन सीटों में से 12 सीटें वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास हैं, जबकि 25 सीटों पर विपक्षी दलों का कब्जा है। ऐसे में यह चुनाव सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 फरवरी को आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 5 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 6 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसके लिए 9 मार्च अंतिम तिथि होगी। इसके बाद 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा और उसी दिन मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 20 मार्च 2026 से पहले पूरी कर ली जाएगी।

इस चुनाव की खास बात यह है कि इसमें कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की संभावना बढ़ गई है। जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, कनिमोझी, साकेत गोखले, उपेंद्र कुशवाहा, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज शामिल हैं। इन नेताओं की विदाई या पुनर्निर्वाचन से संसद में अनुभव और नेतृत्व के संतुलन पर असर पड़ सकता है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को विधानसभा में अपने बहुमत का लाभ मिलने की संभावना है, जिससे वह अधिक सीटें जीत सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल को बढ़त मिलने का अनुमान है, हालांकि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर बन सकता है। बिहार में भी सत्ताधारी गठबंधन की मजबूत स्थिति के कारण अधिकांश सीटें उसके खाते में जाने की संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु में सत्ताधारी दल को स्पष्ट बढ़त मिल सकती है, जबकि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में मुकाबला अधिक दिलचस्प और प्रतिस्पर्धी हो सकता है।

राज्यसभा के चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं, बल्कि संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायकों द्वारा किए जाते हैं। यह प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के तहत होती है, जिससे विधानसभा में जिस दल के पास जितनी संख्या होती है, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा सीटें मिलने की संभावना होती है। यही कारण है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम राज्यसभा के चुनावों को सीधे प्रभावित करते हैं।

इन चुनावों का महत्व केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करेगा। राज्यसभा में बहुमत या मजबूत स्थिति होने से सरकार को अपने विधेयकों को पारित कराने में आसानी होती है, जबकि विपक्ष मजबूत होने पर सरकार को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने और सहमति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव आगामी लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के लिए अपनी ताकत और संगठनात्मक क्षमता का परीक्षण भी होगा।

पूजा स्थल कानून पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक रुख अंतिम सुनवाई से तय होगा ऐतिहासिक विवाद का भविष्य

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश की संवैधानिक और सामाजिक संरचना से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अब जल्द ही अंतिम निर्णय का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील और बहुचर्चित मामले में स्पष्ट संकेत दिया है कि केंद्र सरकार से जवाब मिलने के बाद अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। इस मामले को देश के धार्मिक, कानूनी और सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव देशभर के धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों और उनके कानूनी भविष्य पर पड़ सकता है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और उचित समय पर अंतिम सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। अदालत ने कहा कि फिलहाल मार्च और अप्रैल के महीनों में नौ-न्यायाधीशों की पीठ के कुछ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई निर्धारित है, जिसके बाद इस कानून से संबंधित याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि सर्वोच्च अदालत इस संवेदनशील विषय पर व्यापक और संतुलित विचार के साथ निर्णय लेना चाहती है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि इस मामले में मुद्दों का निर्धारण पहले ही 12 अक्टूबर 2022 को किया जा चुका था और अदालत ने केंद्र सरकार को 31 अक्टूबर 2022 तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई विस्तृत हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है, जिससे अंतिम सुनवाई की प्रक्रिया में देरी हो रही है। अदालत ने इस पर केंद्र सरकार के जवाब की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जवाब मिलने के बाद ही अंतिम सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

पूजा स्थल अधिनियम, 1991 को देश में धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस कानून के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में मौजूद थे, उन्हें उसी स्वरूप में बनाए रखना अनिवार्य है। इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप में बदलाव करने या उसे पुनः प्राप्त करने के लिए अदालत में नया मुकदमा दायर करने पर रोक लगाई गई है। इस प्रावधान का उद्देश्य देश में सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखना था, ताकि स्वतंत्रता के बाद के ऐतिहासिक और धार्मिक विवादों को फिर से उभरने से रोका जा सके।

हालांकि, इस कानून को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, जिनमें इसके कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक और मनमाना बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 15 अगस्त 1947 की तिथि को आधार बनाकर धार्मिक स्थलों की स्थिति को स्थायी रूप से निर्धारित करना न्याय और ऐतिहासिक तथ्यों के सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है। उनका कहना है कि यह प्रावधान उन लोगों के अधिकारों को सीमित करता है, जो अपने धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक दावों को कानूनी रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं।

वहीं, इस कानून के समर्थकों का मानना है कि यह अधिनियम देश में शांति और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका तर्क है कि यदि इस कानून को समाप्त या कमजोर किया जाता है, तो इससे देशभर में धार्मिक विवादों की संख्या बढ़ सकती है और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। उनका कहना है कि यह कानून भारत जैसे विविधतापूर्ण और बहुधार्मिक समाज में स्थिरता और सौहार्द बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने अजमेर दरगाह से जुड़े एक मामले में भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी निचली अदालत द्वारा कोई अंतिम या प्रभावी आदेश पारित किया जाता है, तो उसे उचित समय पर देखा जा सकता है। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि केवल प्रक्रियात्मक आदेश जैसे नोटिस जारी करना या जवाब मांगना किया जाता है, तो उसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। अदालत ने यह भी दोहराया कि सर्वोच्च अदालत के पूर्व आदेश सभी निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं और उनका पालन करना आवश्यक है।

इससे पहले भी सर्वोच्च अदालत ने 12 दिसंबर 2024 को देशभर की अदालतों को निर्देश दिया था कि वे धार्मिक स्थलों से जुड़े नए मुकदमों को स्वीकार न करें और लंबित मामलों में कोई अंतिम या प्रभावी अंतरिम आदेश पारित न करें। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जब तक इस कानून की संवैधानिक वैधता पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक कोई ऐसा आदेश पारित न किया जाए जिससे स्थिति और जटिल हो जाए।

यह कानून पहले भी देश के सबसे चर्चित धार्मिक विवाद, राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में चर्चा का विषय रहा था। हालांकि, उस मामले को इस कानून से अपवाद के रूप में रखा गया था, जिसके कारण उस विवाद की सुनवाई और अंतिम निर्णय संभव हो सका। इस अपवाद के कारण ही उस ऐतिहासिक विवाद का समाधान न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से संभव हुआ।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस मामले में सर्वोच्च अदालत का अंतिम निर्णय देश के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह निर्णय न केवल पूजा स्थल अधिनियम की संवैधानिक वैधता को स्पष्ट करेगा, बल्कि भविष्य में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों की दिशा और स्वरूप भी तय करेगा। अदालत के सामने यह चुनौती होगी कि वह संविधान के मूल सिद्धांतों, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और न्याय के बीच संतुलन स्थापित करते हुए एक ऐसा निर्णय दे, जो सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखे।

इस मामले का राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव भी व्यापक हो सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसका असर देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर पड़ सकता है। इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होगा कि भारत का न्यायिक तंत्र धार्मिक और ऐतिहासिक विवादों को किस प्रकार संतुलित और न्यायपूर्ण तरीके से सुलझाता है।

देश की जनता और कानूनी विशेषज्ञों की निगाहें अब सर्वोच्च अदालत की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यह मामला केवल एक कानूनी विवाद नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले समय में सर्वोच्च अदालत का निर्णय यह तय करेगा कि भारत में धार्मिक स्थलों से जुड़े ऐतिहासिक और कानूनी विवादों का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ेगा और देश में सामाजिक सौहार्द और न्यायिक संतुलन किस प्रकार बनाए रखा जाएगा।

संपादकीय

सुरक्षा कवच में छिद्र

एक दशक पहले जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत की थी, तब इसे भारतीय कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना था। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां करोड़ों किसान अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर हैं, वहां फसल बीमा योजना केवल एक आर्थिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस योजना का वादा था कि यदि किसान की फसल किसी कारणवश नष्ट होती है, तो उसे आर्थिक सहायता मिलेगी ताकि वह कर्ज और निराशा के दलदल में न फंसे।

लेकिन दस वर्षों के बाद जब इस योजना के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इसकी संरचना और क्रियान्वयन में कई गंभीर खामियां मौजूद हैं। योजना का मूल उद्देश्य किसानों को सुरक्षा देना था, लेकिन वास्तविकता में इसका लाभ अपेक्षित स्तर तक किसानों तक नहीं पहुंच पाया है। इसके विपरीत, बीमा कंपनियों को इससे अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ है, जिससे योजना की निष्पक्षता और प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। उदाहरण के तौर पर हरियाणा में वर्ष 2023 से 2025 के बीच बीमा कंपनियों ने 2,827 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, जबकि किसानों को केवल 731 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया। इसका अर्थ यह है कि बीमा कंपनियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी इसी तरह के आंकड़े सामने आए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि योजना का लाभ संतुलित रूप से वितरित नहीं हो रहा है। पूरे देश के आंकड़े और भी अधिक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। पिछले तीन वर्षों में बीमा कंपनियों ने 82,015 करोड़ रुपये का प्रीमियम एकत्र किया, जबकि किसानों को केवल 34,799 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसका मतलब यह है कि बीमा कंपनियों को लगभग 47,000 करोड़ रुपये का लाभ हुआ। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि योजना की संरचना में कहीं न कहीं गंभीर असंतुलन मौजूद है। जब सरकार और किसान दोनों प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तब बीमा कंपनियों द्वारा इतना अधिक लाभ अर्जित करना योजना की मूल भावना के विपरीत प्रतीत होता है।

इस योजना की सबसे बड़ी समस्या दावों के निपटान में देरी और पारदर्शिता की कमी है। कई मामलों में किसानों को मुआवजा मिलने में महीनों या वर्षों का समय लग जाता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। कई किसानों ने यह शिकायत भी की है कि उनके दावे बिना उचित कारण के खारिज कर दिए गए। इसके अलावा, कुछ राज्यों में फर्जी दावों, जाली दस्तावेजों और फर्जी बैंक खातों के माध्यम से अनियमितताओं के आरोप भी सामने आए हैं। इससे न केवल योजना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, बल्कि वास्तविक जरूरतमंद किसान भी इससे वंचित रह गए हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस योजना में प्रीमियम का एक बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जो अंततः करदाताओं के पैसे से आता है। जब सार्वजनिक धन का उपयोग किसी योजना में किया जाता है, तो उसकी जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है। यदि बीमा कंपनियां इस योजना के माध्यम से अत्यधिक लाभ कमा रही हैं, जबकि किसानों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो यह सार्वजनिक संसाधनों के उचित उपयोग पर भी सवाल खड़ा करता है। हालांकि, यह भी सच है कि सरकार ने इस योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई तकनीकी सुधारों को लागू करने का प्रयास किया है। सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन तकनीक और डिजिटल उपज अनुमान प्रणाली का उपयोग करके फसल नुकसान का अधिक सटीक आकलन करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इसका उद्देश्य दावों के निपटान को तेज और पारदर्शी बनाना है। लेकिन इन तकनीकी उपायों का प्रभाव अभी तक सीमित ही रहा है, और जमीनी स्तर पर किसानों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।

योजना की सफलता के लिए आवश्यक है कि बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके लिए पारदर्शी ऑडिट प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसमें स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा नियमित जांच की जाए। साथ ही, दावों के निपटान की एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि किसानों को समय पर सहायता मिल सके। इसके अलावा, किसानों को योजना की निगरानी और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना भी आवश्यक है, ताकि उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सके। एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार यह हो सकता है कि बीमा क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए। यदि अधिक बीमा कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

माता-पिता की देखभाल हेतु जवाबदेही सुनिश्चित हो

> विदेशों में बसी संतानों द्वारा भारत में रह रहे मां-बाप की उपेक्षा व अनदेखी का मामला संसद में उठना केवल कानूनी सवाल ही नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक मुद्दा भी है। कानून द्वारा प्रवासी बच्चों के माता-पिता का जीवन सुरक्षित करना वक्त की जरूरत है।

भारतीय समाज में परिवार की संरचना और मूल्यों का आधार माता-पिता की सेवा और सम्मान रहा है, लेकिन आधुनिक समय में बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसरों के कारण लाखों युवा विदेशों में बस रहे हैं। यह प्रवास अक्सर परिवारों के लिए आर्थिक उन्नति लाता तो है, लेकिन कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता भारत में अकेले पड़ जाते हैं। उनकी देखभाल, भावनात्मक समर्थन और नियमित संपर्क की कमी से बुजुर्गों की मानसिक और शारीरिक स्थिति दयनीय हो जाती है।

हाल ही में राज्यसभा में भाजपा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने विदेश जाने वाले युवाओं द्वारा माता-पिता की देखभाल सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि विदेश जाने से पहले बच्चों से एक हलफनामा लिया जाए, जिसमें वे अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा माता-पिता की देखभाल के लिए देने का वादा करें। इसके साथ ही, हर छह महीने में माता-पिता से 'संतुष्टि प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अनिवार्य हो। ऐसा प्रमाण पत्र न मिलने या शिकायत आने पर बच्चों का पासपोर्ट रद्द किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कम से कम सप्ताह में एक बार फोन पर माता-पिता का हालचाल पूछना भी बाध्यकारी होना चाहिए। इस संदर्भ में पिछले वर्ष 500 से अधिक ऐसे मामले सामने आए, जहां विदेश में बसे बच्चों की उपेक्षा के कारण माता-पिता की हालत बहुत खराब हो गई या उनकी मृत्यु हो गई। विडंबना है कि बच्चे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं लौटे।

यह मुद्दा केवल भावनात्मक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और कानूनी दृष्टि से भी गंभीर है। भारत में पहले से ही 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007' लागू है, जो बच्चों को माता-पिता की आर्थिक और भावनात्मक देखभाल के लिए जिम्मेदार बनाता

है। इस कानून के तहत बुजुर्ग ट्रिब्यूनल में शिकायत कर सकते हैं और बच्चों से मासिक भरण-पोषण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने की शक्ति भी शामिल है। हालांकि, यह कानून विदेश में बसे बच्चों (एनआरआई) पर प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, प्रवर्तन की कमी और संपर्क की दूरी जैसी समस्याएं आड़े आती हैं। कई एनआरआई बच्चे भारत में संपत्ति या बैंक खाते रखते हैं, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। सांसद का प्रस्ताव इसी कमी को दूर करने का प्रयास है। यदि पासपोर्ट आवेदन या वीजा प्रक्रिया में माता-पिता की सहमति अनिवार्य हो सकती है, तो यह उनके भविष्य को सुरक्षित बनाएगा।

इस तरह के कानून की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। प्रवास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन की कमी होती है। कई मामलों में माता-पिता ने बच्चों को विदेश भेजने के लिए अपनी ज़मीन-जायदाद बेच दी, कर्ज लिया या अपनी सारी बचत लगा दी, लेकिन बदले में उन्हें अकेलापन और उपेक्षा मिली।

भारतीय संस्कृति में 'मातृ-पितृ भक्ति' को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन आर्थिक महत्वाकांक्षा और पश्चिमी जीवनशैली के प्रभाव से यह मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। यह मुद्दा सांस्कृतिक संकट पर भी ध्यान आकर्षित करता है। निःसंदेह, सफलता के पीछे माता-पिता का बहुत बड़ा त्याग होता है।

हालांकि, इस प्रस्ताव पर बहस भी छिड़ी हुई है। कुछ लोग इसे सकारात्मक मानते हैं, क्योंकि यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करेगा और बच्चों में जिम्मेदारी की भावना जाग्रत करेगा। दूसरी ओर, आलोचक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बताते हैं। वे कहते हैं कि पासपोर्ट रद्द करना या प्रमाण पत्र की बाध्यता जैसे कदम बहुत कठोर हैं, जो प्रवास की स्वतंत्रता को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पासपोर्ट रद्द करने के लिए केवल गंभीर अपराध या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार होते हैं, न कि पारिवारिक मामले। एनआरआई समुदाय का एक हिस्सा इसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि भारत में रहने वाले बच्चे जो माता-पिता की उपेक्षा करते हैं, उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई नहीं होती। क्या केवल विदेश जाने वालों पर ही यह नियम लागू होगा?

इसके बावजूद, प्रस्ताव की व्यावहारिकता पर विचार करना जरूरी है। यदि सरकार इसे लागू करना चाहती है, तो विदेश मंत्रालय को एनआरआई से जुड़े डेटाबेस को मजबूत करना होगा, भारतीय दूतावासों के माध्यम से प्रमाण पत्र सत्यापन की व्यवस्था करनी होगी और शिकायतों के लिए एक तंत्र बनाना होगा। यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है, लेकिन डिजिटल इंडिया और आधार जैसी सुविधाओं से इसे संभव बनाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, माता-पिता एक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं या दूतावास में जमा कर सकते हैं। यदि प्रमाण पत्र नहीं मिलता, तो पासपोर्ट नवीनीकरण रुक सकता है या यात्रा प्रतिबंध लग सकता है। यह कदम बच्चों को नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए बाध्य करेगा।

संसद में उठाया गया यह सवाल केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक है। यदि ऐसा कानून बनता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश में सफलता पाने वाले बच्चे अपने माता-पिता को कभी न भूलें। बुजुर्गों का सम्मान और सुरक्षा राष्ट्र की प्रगति का आधार है, और उनकी उपेक्षा समाज के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए, इस प्रस्ताव को गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि माता-पिता का भविष्य सुरक्षित हो और परिवार की एकता बनी रहे।

प्रेरणा

गणित का तपस्वी: हरीश चंद्र की अद्भुत ज्ञानयात्रा

मानव इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह पूरी मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। हरीश चंद्र ऐसे ही महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने अपने जीवन को गणित की साधना में इस प्रकार समर्पित कर दिया कि वे ज्ञान के एक सच्चे तपस्वी बन गए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज में पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो वह अपने क्षेत्र में अमर हो जाता है।

हरीश चंद्र का प्रारंभिक जीवन भारत में बीता, जहां उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और जिज्ञासा के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष पहचान बनाई। बचपन से ही उन्हें गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे हर समस्या को केवल हल करने तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि उसके पीछे छिपे सिद्धांत और तर्क को भी समझना चाहते थे। उनकी यही विशेषता उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग बनाती थी। आगे चलकर उन्हें इंग्लैंड की प्रसिद्ध कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने का अवसर मिला, जो उस समय विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और गणितीय शोध का केंद्र था। कैम्ब्रिज में उन्हें विश्व के महान भौतिक विज्ञानी पॉल डिराक के साथ अध्ययन करने का अवसर मिला। डिराक क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने भौतिकी की दुनिया को एक नई दिशा दी थी। हरीश चंद्र उनके विद्यार्थी थे और उनसे बहुत प्रभावित थे। लेकिन हरीश चंद्र का दृष्टिकोण केवल भौतिकी के प्रयोगों और परिणामों तक सीमित नहीं था। वे हर सिद्धांत की गणितीय पूर्णता को समझना चाहते थे।

एक दिन उन्होंने देखा कि डिराक एक भौतिक समस्या को हल करते समय जिन गणितीय तर्कों का उपयोग कर रहे थे, वे पूरी तरह कठोर और प्रमाणित नहीं थे। हरीश चंद्र के मन में यह बात खटक गई। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या यह समीकरण गणितीय रूप से हर स्थिति में पूरी तरह सही है। डिराक ने उत्तर दिया कि उनके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि यह समीकरण प्रकृति के अनुरूप काम करता है और उसके व्यवहार को सही ढंग से समझाता है।

यह उत्तर भौतिकी के दृष्टिकोण से उचित था, लेकिन हरीश चंद्र का मन इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वे ऐसे व्यक्ति थे, जो केवल आंशिक सत्य से संतुष्ट नहीं हो सकते थे। वे पूर्णता चाहते थे, ऐसा सत्य जो तर्क और प्रमाण पर आधारित हो। इसी घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि उनका मन गणित की ओर अधिक आकर्षित है, क्योंकि गणित में हर बात को प्रमाणित किया जाता है और उसमें किसी प्रकार की अनिश्चितता के लिए स्थान नहीं होता।

इसके बाद उन्होंने गणित को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने 'प्रेजेंटेशन थ्योरी' और 'हार्मोनिक एनालिसिस' जैसे अत्यंत जटिल और गहरे विषयों पर कार्य किया। उनके शोध ने गणित की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। उन्होंने ऐसे सिद्धांत विकसित किए, जो न केवल गणित के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि भौतिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों के लिए भी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए। उनके कार्य ने यह सिद्ध किया कि गणित केवल संख्याओं और समीकरणों का विषय नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की गहराई को समझने का एक माध्यम है।

हरीश चंद्र का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। वे अपने कार्य में इतने डूबे रहते थे कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता था। कई बार वे रात के समय भी अपने विचारों में खोए रहते और ब्लैकबोर्ड पर समीकरण लिखते रहते थे। उनके लिए गणित केवल एक पेशा नहीं था, बल्कि यह एक साधना थी। वे ज्ञान की खोज में पूरी तरह समर्पित थे और उनके लिए यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था।

उनकी इस साधना और समर्पण ने उन्हें विश्व के महानतम गणितज्ञों की श्रेणी में ला खड़ा किया। उनके कार्य को पूरी दुनिया में सम्मान मिला और उन्हें गणित के क्षेत्र में एक अग्रणी विद्वान के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी विनम्रता थी। इतनी बड़ी उपलब्धियों के बावजूद वे हमेशा सरल और शांत स्वभाव के व्यक्ति बने रहे।

हरीश चंद्र ने यह सिद्ध किया कि सच्ची महानता केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से प्राप्त होती है। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या सम्मान की इच्छा नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह संतोष था, जो उन्हें किसी जटिल समस्या का समाधान खोजने के बाद मिलता था।

भारत के लिए उनका योगदान अत्यंत गर्व का विषय है। उन्होंने अपने कार्य से यह सिद्ध किया कि भारतीय प्रतिभा विश्व स्तर पर किसी से कम नहीं है। उन्होंने गणित के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने।

उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण रखे, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। उन्होंने सांसारिक आकर्षणों से ऊपर उठकर ज्ञान की साधना को अपना जीवन बना लिया। यही कारण है कि उन्हें गणित का तपस्वी कहा जाता है।

आज जब हम उनके जीवन और कार्यों को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि वे केवल एक गणितज्ञ नहीं थे, बल्कि एक ऐसे साधक थे, जिन्होंने ज्ञान की खोज को ही अपना जीवन बना लिया। उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्य को केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक साधना के रूप में स्वीकार करना चाहिए।

हरीश चंद्र की कहानी यह बताती है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो वह न केवल स्वयं महान बनता है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। उनका जीवन और उनका कार्य सदैव आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा और यह याद दिलाता रहेगा कि सच्ची महानता ज्ञान की खोज में निहित होती है।

आखिर एआई, जियो पॉलिटिक्स को कैसे बदल रहा है?

समकालीन दुनिया इंटरनेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से परस्पर जुड़ी हुई है, लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जियोपॉलिटिक्स को तेजी से बदल रहा है। इस लिहाज से सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी संप्रभुता प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो यह चिप्स, डेटा और कंप्यूटिंग पावर पर वैश्विक दौड़ को तेज कर रहा है, जबकि भविष्य में यह नई गठबंधन और संघर्षों को भी जन्म दे सकता है। जहां तक एआई के वर्तमान प्रभाव की बात है तो एआई ने जियोपॉलिटिक्स में नई शक्ति संतुलन पैदा किया है, जहां अमेरिका और चीन जैसे देश चिप निर्माण और डेटा नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। सप्लाई चेन का विखंडन हो रहा है, जिससे देश अपनी AI संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं, जैसे भारत डोमेस्टिक मॉडल्स विकसित कर रहा है। भारत AI Impact Summit 2026 में जियो के AI मॉडल्स ने स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति में समावेशी उपयोग दिखाया, जो वैश्विक दक्षिण के लिए मॉडल बन सकता है।

इसी प्रकार से सैन्य और सुरक्षा आयाम भी तेजी से बदल रहे हैं, खासकर एआई सैन्य रणनीतियों को बदल रहा है, जैसे स्वायत्त हथियार और साइबर युद्ध में इसका उपयोग, जो पारंपरिक शक्ति संतुलन को चुनौती देता है। इसप्रकार देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ाने में AI की भूमिका स्पष्ट है, जहां ट्रंप 2.0 जैसे कारक वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं AI को लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाने के लिए निवेश कर रही हैं।

इसलिए भविष्य के प्रभाव भी स्पष्ट हैं। निकट भविष्य में AI राष्ट्रों की ताकत का निर्धारक बनेगा, जिसमें राष्ट्रीय AI द्वीप (national islands) बनेंगे और वैश्विक सहयोग कम हो सकता है। यही वजह है कि भारत 'AI for All' विजन से गरीब-अमीर देशों तक पहुंच बढ़ा रहा है, जो जियोपॉलिटिकल स्थिरता ला सकता है। हालांकि, असमानता और नियमन की चुनौतियां बढ़ेंगी, जैसे सामाजिक-राजनीतिक प्रभावों पर विनियमन आदि।

जहां तक एआई की होड़ में भारत का स्थान की बात है तो भारत AI को सामाजिक भलाई के लिए उपयोग कर जियोपॉलिटिक्स में मजबूत हो रहा है, जैसा कि इंडिया AI समिट में PM मोदी के जियो पवेलियन दौरे से पता चला है। यह वैश्विक सप्लाई चेन में नया अवसर देगा, लेकिन चिप्स और डेटा संप्रभुता पर निर्भरता बनी रहेगी। साक्ष्य-आधारित AI से अनपेक्षित जोखिम कम होंगे।

भारत की AI भू-राजनीतिक रणनीति तकनीकी संप्रभुता, समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित है। यह #AIforAll विजन के तहत AI को लोकतांत्रिक बनाने पर जोर देती है, जिसमें आर्थिक निर्भरता कम करना और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मजबूत करना शामिल है।इसके प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं:- भारत AI मिशन (मार्च 2024 से) सात स्तंभों—इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटिंग पावर, डेटा प्लेटफॉर्म, स्टार्टअप फंडिंग, अनुसंधान, स्किलिंग और विश्वास-आधारित AI—पर आधारित है, जो वैश्विक AI दौड़ में भारत को मजबूत बनाता है। नीति आयोग की राष्ट्रीय AI रणनीति #AIforAll के माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्मार्ट सिटीज जैसे क्षेत्रों में AI को प्राथमिकता देती है। यह अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा में संतुलन बनाते हुए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) से AI परिनियोजन में उत्कृष्टता हासिल करने का लक्ष्य रखती है।

जहां तक भू-राजनीतिक फोकस की बात है तो भारत की रणनीति AI संप्रभुता पर जोर देती है, जैसे IndiaAI मिशन और राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन से स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा, ताकि विदेशी फर्मों पर निर्भरता कम हो और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हो। वहीं वैश्विक मंचों जैसे पेरिस AI एक्शन समिट 2025 में भारत फ्रांस के साथ सह-अध्यक्षता कर AI डिवाइड कम करने और जिम्मेदार AI शासन को बढ़ावा दे रहा है। जबकि उच्च-जोखिम AI के लिए गवर्नेंस दिशानिर्देश जारी कर जोखिमों जैसे डीपफेक और गलत सूचना पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस राह में भारत की चुनौतियां और भविष्य स्पष्ट है। डेटा उपयोग स्पष्टता की कमी, अविकसित अनुसंधान इंफ्रास्ट्रक्चर और दायित्व मुद्दे वैश्विक AI क्षमता को सीमित कर सकते हैं, इसलिए नीतिगत हस्तक्षेप जैसे सैंडबॉक्स और कंप्यूट एक्सेस सुधार जरूरी हैं। भू-राजनीतिक दौड़ में भारत AI उपयोग से निर्माण की ओर बढ़ रहा है, जो इंडो-पैसिफिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगा। AI Impact Summit 2026 जैसे आयोजनों से वैश्विक दक्षिण के लिए मॉडल स्थापित हो रहा है।

एआई जियोपॉलिटिक्स को तेजी से बदल रही है, खासकर सैन्य क्षमताओं, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और डेटा संप्रभुता के क्षेत्र में। यह देशों के बीच नई शक्ति प्रतिस्पर्धा को जन्म दे रही है, जहां तकनीकी वर्चस्व राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार बन गया है। जहां तक सैन्य और सुरक्षा प्रभाव की बात है तो एआई हथियार प्रणालियों, निगरानी और साइबर युद्ध में क्रांति ला रही है। उदाहरणस्वरूप, स्वायत्त ड्रोन और भविष्यवाणी विश्लेषण से युद्ध रणनीतियां अधिक सटीक हो गई हैं, जिससे पारंपरिक सैन्य शक्ति का महत्व घट रहा है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़े हैं, जैसे यूएस-चीन के बीच चिप युद्ध।

अभियान

हिमालयी चेतना, ब्रह्मांडीय विज्ञान और आंतरिक रूपांतरण की दिव्य रात्रि

मानव सभ्यता के विकास में कुछ ऐसे विशेष क्षण होते हैं, जिन्हें केवल सांस्कृतिक या धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि चेतना और अस्तित्व के विज्ञान के रूप में भी समझा गया है। महाशिवरात्रि ऐसी ही एक अद्वितीय रात्रि है, जिसे हिमालयी परंपराओं में चेतना के उत्कर्ष और आंतरिक संतुलन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह केवल एक पर्व या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म अवसर है जब मानव प्रणाली ब्रह्मांडीय लय के साथ स्वाभाविक रूप से संरेखित हो सकती है। हिमालय के प्राचीन साधकों ने हजारों वर्षों तक प्रकृति, ग्रहों की गति और मानव शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं का गहन अवलोकन किया और पाया कि कुछ विशेष खगोलीय स्थितियां मानव चेतना पर गहरा प्रभाव डालती हैं। महाशिवरात्रि उन्हीं विशेष क्षणों में से एक है, जब मानव प्रणाली में आंतरिक संगठन और जागरूकता की संभावना अपने चरम पर होती है।

महाशिवरात्रि चंद्र चक्र के उस विशिष्ट चरण में आती है, जब अमावस्या से ठीक पहले चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव और ग्रहों की स्थिति मानव शरीर के ऊर्जा प्रवाह को भीतर की ओर मोड़ने लगती है। इस समय शरीर और मन की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से शांत होने लगती हैं और चेतना बाहरी उत्तेजनाओं से हटकर आंतरिक अनुभव की ओर अग्रसर होती है। हिमालयी परंपराओं में इसे इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि इस समय साधना के लिए आवश्यक आंतरिक स्थिरता प्रकृति के सहयोग से सहज रूप से उपलब्ध हो जाती है। यह वह क्षण होता है जब व्यक्ति अपने अस्तित्व की गहराई को बिना किसी बाहरी प्रयास के अनुभव कर सकता है।

मानव शरीर और चेतना का संपूर्ण तंत्र लय और संतुलन पर आधारित है। श्वास का एक निश्चित क्रम होता है, हृदय की धड़कन एक लय में चलती है, मस्तिष्क की तरंगें सक्रियता और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, और हार्मोन का स्राव भी एक निश्चित समय चक्र का पालन करता है। जब ये सभी प्रक्रियाएं सामंजस्य में होती हैं, तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। लेकिन जब यह लय बाधित होती है, तो तनाव, भ्रम और असंतुलन उत्पन्न होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इन लयों के स्वाभाविक पुनर्संयोजन का अवसर प्रदान करती है। इस समय प्रकृति की अंतर्मुखी प्रवृत्ति मानव चेतना की अंतर्मुखता के साथ जुड़ जाती है, जिससे आंतरिक स्थिरता और स्पष्टता का अनुभव संभव हो जाता है।

रात्रि का समय स्वयं में चेतना के लिए विशेष महत्व रखता है। जब बाहरी प्रकाश कम हो जाता है और इंद्रियों की गतिविधि धीमी पड़ जाती है, तो तंत्रिका तंत्र स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। इस स्थिति में मस्तिष्क की गतिविधि अधिक सूक्ष्म हो जाती है और व्यक्ति अपनी आंतरिक स्थिति को अधिक स्पष्टता से अनुभव कर सकता है। महाशिवरात्रि पर ग्रहों की विशेष स्थिति इस प्रक्रिया को और अधिक गहन बना देती है। इस समय जागरूकता को स्थिर बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब चेतना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच सकती है।

हिमालयी साधकों ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि इस रात्रि में शरीर को सीधा और सजग रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरुदंड मानव शरीर का केंद्रीय ऊर्जा मार्ग है, जहां से तंत्रिका संकेत पूरे शरीर में प्रवाहित होते हैं। जब शरीर सीधा रहता है, तो यह ऊर्जा प्रवाह अधिक संतुलित और प्रभावी हो जाता है। इससे श्वास की लय संतुलित होती है, मस्तिष्क की गतिविधि स्पष्ट होती है और ध्यान की स्थिति स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता किसी प्रकार की निष्क्रियता नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसी सजग अवस्था होती है, जहां चेतना पूर्ण रूप से जागरूक और संतुलित रहती है।

महाशिवरात्रि का संबंध केवल शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं से ही नहीं, बल्कि ध्वनि और कंपन के विज्ञान से भी है। हिमालयी परंपराओं में ध्वनि को अस्तित्व का मूल तत्व माना गया है। प्रत्येक ध्वनि एक विशिष्ट कंपन उत्पन्न करती है, जो मानव तंत्रिका तंत्र और चेतना पर प्रभाव डालती है। संस्कृत मंत्रों और ध्वनियों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उनकी संरचना इस प्रकार की गई है कि वे मानव प्रणाली को ब्रह्मांडीय लय के साथ संरेखित कर सकें। जब ध्वनि, श्वास और जागरूकता का संयोजन होता है, तो यह संपूर्ण प्रणाली को संतुलित करता है और चेतना को अधिक स्पष्ट और स्थिर बनाता है।

महाशिवरात्रि पर त्रिनेत्र ध्यान जैसी प्रक्रियाएं विशेष रूप से प्रभावी होती हैं। यह ध्यान व्यक्ति की जागरूकता को सामान्य मानसिक गतिविधियों से ऊपर उठाकर सूक्ष्म अनुभूति की ओर ले जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति केवल विचारों और भावनाओं के स्तर पर नहीं, बल्कि अस्तित्व के गहरे स्तर पर अनुभव करने लगता है। यह अनुभव व्यक्ति के भीतर एक स्थायी परिवर्तन ला सकता है, जिससे उसका दृष्टिकोण, व्यवहार और जीवन की गुणवत्ता बदल सकती है।

हिमालयी दृष्टिकोण में शिव को पूर्ण आंतरिक स्थिरता और चेतना का प्रतीक माना गया है। यह स्थिरता जड़ता नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है, जहां व्यक्ति पूरी तरह जागरूक और संतुलित होता है। महाशिवरात्रि इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर प्रदान करती है। यह वह क्षण होता है, जब व्यक्ति अपने भीतर के अशांत तत्वों को शांत कर सकता है और अपने अस्तित्व की मूल प्रकृति का अनुभव कर सकता है।

इस रात्रि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें की गई साधना का प्रभाव केवल उसी समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। जब चेतना एक बार आंतरिक संतुलन और स्थिरता का अनुभव कर लेती है, तो यह अनुभव व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी प्रतिबिंबित होने लगता है। इससे व्यक्ति की एकाग्रता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है और जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो जाता है।

महाशिवरात्रि हमें यह भी सिखाती है कि मानव चेतना और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध है। हम केवल एक पृथक इकाई नहीं हैं, बल्कि हम उस विशाल ब्रह्मांडीय प्रणाली का हिस्सा हैं, जो निरंतर गति और संतुलन में कार्य कर रही है। जब हम अपने जीवन को प्रकृति की लय के साथ संरेखित करते हैं, तो हम अधिक संतुलित, शांत और जागरूक हो सकते हैं।

आज के आधुनिक युग में, जहां जीवन की गति अत्यंत तेज हो गई है और मानसिक तनाव सामान्य हो गया है, महाशिवरात्रि जैसी परंपराएं हमें अपने भीतर लौटने का अवसर प्रदान करती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति और संतुलन बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक अनुभव में निहित है। यह रात्रि हमें अपने भीतर झांकने, अपने अस्तित्व को समझने और अपने जीवन को अधिक जागरूकता और संतुलन के साथ जीने की प्रेरणा देती है।

महाशिवरात्रि का वास्तविक महत्व इसी में है कि यह हमें हमारे मूल स्वरूप की ओर लौटने का अवसर प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जब हम अपनी चेतना को स्थिर और संतुलित करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक स्पष्टता, संतुलन और उद्देश्य के साथ जी सकते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि चेतना के विकास और आंतरिक रूपांतरण का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवसर है, जो मानव जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा पेश 2026-27 के बजट का स्वागत किया

"यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ सहित पांच स्तंभों पर आधारित है

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

"यह विश्वास-आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बजट है

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- 2026-27 के बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है, गत वर्ष की तुलना में बजट का आकार 10.2 फीसदी बढ़ा
- बजट के कुल खर्च का 65 फीसदी विकास-उन्मुख कार्यों के लिए आवंटित
- पर्यटन क्षेत्र को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को 'गुजरात पर्यटन वर्ष' घोषित कर 6500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के वर्ष 2026-27 के बजट को विश्वास- आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला बजट करार दिया है।

वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई द्वारा बुधवार को विधानसभा में पेश किए गए राज्य के बजट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट सामाजिक सुरक्षा, मानव संसाधन विकास, ढांचागत सुविधाओं, आर्थिक विकास और ग्रीन ग्रोथ सहित पांच स्तंभों पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' पर सवार तीन कर्तव्यों पर आधारित बजट पेश किया है। गुजरात प्रधानमंत्री के हरेक संकल्प को साकार करने में उनके ही मार्गदर्शन में अविरत विकास से अग्रसर रहने वाला राज्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने आज अडिग विश्वास, अविरत विकास की प्रतिबद्धता के साथ विधानसभा में गुजरात का बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट बिना किसी नए टैक्स का बोझ डाले, राज्य की अविरत विकास यात्रा को जन कल्याण के अडिग विश्वास से आगे बढ़ाने वाला है।

उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि आज पेश किया गया बजट विश्वास-आधारित शासन और मानव-केंद्रित आर्थिक ढांचे के विजन को साकार करने वाला है।"

श्री पटेल ने कहा कि इस बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर 'ग्यान' यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026-27 के इस बजट का आकार 4 लाख 8 हजार करोड़ रुपए है, जो गत वर्ष की तुलना में बजट के आकार में 10.2 फीसदी की वृद्धि को दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने बजट आवंटन की विशेषता का उल्लेख करते हुए कहा कि बजट के कुल खर्च का 65 फीसदी विकास-उन्मुख खर्च के लिए आवंटित किया गया है।

इतना ही नहीं, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के लिए 20 फीसदी यानी 64 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

शिक्षित, कुशल, उत्कृष्ट और भविष्य के लिए तैयार युवा शक्ति के निर्माण के लिए बजट में 'नमो गुजरात कौशल और रोजगार मिशन' के लिए 226 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

स्वास्थ्य कल्याण और सामाजिक सेवाओं के लिए 19 फीसदी और कृषि, सिंचाई, पानी और शहरी विकास के लिए 11 फीसदी आवंटन किया गया है, जो प्रधानमंत्री की 'सबका साथ, सबका विकास' की संकल्पना को साकार करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित 39 फीसदी राशि विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के कारण सतत-अविरत और गतिशील विकास की गति को और भी तीव्र बनाएगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब के ग्रीन ग्रोथ के आह्वान को स्वीकार करते हुए इस वर्ष के बजट में 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि ग्रीन बजट के हिस्से के रूप में आवंटित की है।

उन्होंने कहा कि श्री मोदी साहब के विशिष्ट विजन के कारण आज गुजरात वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेर रहा है।

पर्यटन क्षेत्र को और नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए वर्ष 2026 को 'गुजरात पर्यटन वर्ष' के रूप में घोषित कर 6500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

श्री पटेल ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती वर्ष में आदिवासी क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए 35 हजार करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है।

चार आदिवासी जिलों की 18 तहसीलों के 51,480 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरिगेशन) योजना का आयोजन भी किया गया है।

इसी प्रकार, आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र (जीआईडीसी) की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं प्रथम सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों के कारण अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अवसर मिला है।

इसके लिए, इस बजट में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक परिवहन सेवाओं के साथ ही ओलंपिक रेडी अहमदाबाद के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है।

राज्य में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए गुजरात हाई-स्पीड कॉरिडोर में 800 करोड़ रुपए के निवेश से नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी का निर्माण होगा।

क्लाइमेट रेजिलिएंट (जलवायु लचीले) और न्यू टेक्नोलॉजी मार्गों के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

उन्होंने कहा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डीप टेक का युग है। गुजरात को एआई और डिजिटल गवर्नेंस की पहलों में आगे रखने के लिए 850 करोड़ रुपए से अधिक राशि आवंटित की है और डेटा फ्यूजन सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 6 रीजनल इकोनॉमिक मास्टर प्लान के जरिए संतुलित आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और विकसित गुजरात 2047 का रास्ता और भी उज्ज्वल बनाया है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गर्व के साथ मनाए जा रहे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का उल्लेख करते हुए श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा, "मैं एक ऐसा सर्वसमावेशी बजट देने के लिए वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिससे प्रत्येक गुजराती स्वाभिमान पर्व के साथ-साथ गुजरात के गतिमान विकास पर गर्व कर सकता है।"

गोरखपुर एवं मऊ के लिए स्पेशल ट्रेन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा होली के त्योहार के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से वडोदरा – गोरखपुर एवं वडोदरा – मऊ के बीच विशेष किराए पर त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन स्पेशल ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा – गोरखपुर स्पेशल (साप्ताहिक) [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा-गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक सोमवार वडोदरा से 19:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फ़रवरी से 23 मार्च , 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर-वडोदरा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को गोरखपुर से 05:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:35 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फ़रवरी से 25 मार्च, 2025 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, आगरा फोर्ट,टूंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी-2 टियर, एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास, द्वितीय श्रेणी के सामान्य कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09195/09196 वडोदरा-मऊ सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [12 फेरे]ः

ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा-मऊ सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक शनिवार को 19.00 बजे वडोदरा से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 20.45 बजे मऊ पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 फ़रवरी से 28 मार्च, 2026 तक चलेगी। इसी तरह, ट्रेन संख्या 09196 मऊ- वडोदरा सुपरफास्ट स्पेशल मऊ से प्रत्येक रविवार को 23.15 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 00.45 बजे वडोदरा पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 फ़रवरी से 29 मार्च, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दाहोद, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा फोर्ट, टूंडला,कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर, और बनारस स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09195 का गोधरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09111,09195 की बुकिंग 19 फ़रवरी,2026 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

राजकोट मंडल में डबल ट्रैक कार्य के चलते रेल यातायात होगा प्रभावित

(जीएनएस)। राजकोट मंडल में स्थित जामनगर-लाखाबावल सेक्शन में डबल ट्रैक कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा जिसके चलते 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी, 2026 तक रेल यातायात प्रभावित होगा। प्रभावित होने वाली ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

आंशिक रूप से रद्द की गयी ट्रेनें:

1) 25-02-2026 को भावनगर से चलने वाली गाड़ी संख्या 19209 भावनगर–ओखा एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

2) 25-02-2026 को मुम्बई सेंट्रल से चलने वाली गाड़ी संख्या 22945 मुंबई सेंट्रल–ओखा सौराष्ट्र मेल को राजकोट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन राजकोट–ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

3) 24-02-2026 को शालीमार से चलने वाली गाड़ी संख्या 22906 शालीमार–ओखा एक्सप्रेस को हापा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-ओखा के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

4) 26-02-2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन ओखा–राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

5) 26-02-2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 22946 ओखा–मुंबई सेंट्रल सौराष्ट्र मेल को राजकोट स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन ओखा–राजकोट के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

6) 24-02-2026 को तिरुनेलवेली से चलने वाली गाड़ी संख्या 19577 तिरुनेलवेली–जामनगर एक्सप्रेस को हापा स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। इस तरह यह ट्रेन हापा-जामनगर बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

परिवर्तित मार्ग से चलने वाली ट्रेनें:

1) 26.02.2026 को पोरबंदर से चलने वाली गाड़ी संख्या गाड़ी संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग वाया जेतलसर-भक्तिनगर से चलाया जाएगा।

रिशेड्यूल की गयी ट्रेनें:

1) 24.02.2026 को ओखा से चलने वाली गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को ओखा स्टेशन से 2 घंटे देरी से प्रस्थान करने के लिए रिशेड्यूल किया गया है।

मार्ग में रेगुलेट (लेट) होने वाली ट्रेनें:

1) 21, 22 और 23 फरवरी , 2026 को गाड़ी संख्या 19210 ओखा–भावनगर एक्सप्रेस को मार्ग में 25 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

2) 23 फरवरी , 2026 को गाड़ी संख्या 12478 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–जामनगर एक्सप्रेस को मार्ग में 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।

3) 26 फरवरी, 2026 को गाड़ी संख्या 22969 ओखा–बनारस एक्सप्रेस को मार्ग में आवयश्कता अनुसार रेगुलेट किया जाएगा।

रेल यात्रियों से निवेदन है कि वे उपरोक्त फेरबदल को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें और ट्रेनों के परिचालन संबंधित नवीनतम अपडेटस की जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन करें ताकि किसी प्रकार कि असुविधा ना हो।

पश्चिम रेलवे चलाएगी छह जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। यात्रियों की सुविधा तथा होली पर्व के दौरान यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे विशेष किराए पर छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1. ट्रेन संख्या 09183/09184 मुंबई सेंट्रल – बनारस साप्ताहिक एसी स्पेशल (08 फेरे)

ट्रेन संख्या 09183 मुंबई सेंट्रल – बनारस स्पेशल हर बुधवार को 22:30 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर शुक्रवार को 10:30 बजे बनारस पहुँचेगी। यह ट्रेन 04 मार्च से 25 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09184 बनारस – मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर शुक्रवार को 14:30 बजे बनारस से प्रस्थान कर रविवार को 04:20 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 06 मार्च से 27 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, अछनेरा, आगरा इदगाह, टुंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, भोगांव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, जंघई एवं भदोही स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर एवं एसी 3-टियर (इकोनॉमी) के कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09189/09190 मुंबई सेंट्रल – कटिहार साप्ताहिक स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल – कटिहार स्पेशल हर शनिवार को 10:55 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर सोमवार को 07:30 बजे कटिहार पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09190 कटिहार – मुंबई सेंट्रल स्पेशल हर मंगलवार को 00:15 बजे कटिहार से प्रस्थान कर अगले दिन 18:40 बजे मुंबई सेंट्रल पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, वलसाड, भरूच, वडोदरा, रतलाम, उज्जैन, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, खलीलाबाद, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया एवं नौगछिया स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09189 का सूरत स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09025/09026 वलसाड – दानापुर साप्ताहिक स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09025 वलसाड – दानापुर स्पेशल हर सोमवार को 08:40 बजे वलसाड से प्रस्थान कर अगले दिन 12:00 बजे दानापुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी 2026 से 30 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09026 दानापुर – वलसाड स्पेशल हर मंगलवार को 14:30 बजे दानापुर से प्रस्थान कर अगले दिन 21:30 बजे वलसाड पहुँचेगी। यह ट्रेन 24 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में भेस्तान, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर एवं आरा स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 09111/09112 वडोदरा – गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09111 वडोदरा – गोरखपुर स्पेशल हर सोमवार को 19:00 बजे वडोदरा से प्रस्थान कर अगले दिन 23:30 बजे गोरखपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 23 फरवरी 2026 से 23 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09112 गोरखपुर – वडोदरा स्पेशल हर बुधवार को 05:00 बजे गोरखपुर से प्रस्थान कर अगले दिन 08:35 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 25 फरवरी 2026 से 25 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में गोधरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, आगरा फोर्ट, टुंडला, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा एवं बस्ती स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09195/09196 वडोदरा – मऊ साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल (12 फेरे)

ट्रेन संख्या 09195 वडोदरा – मऊ स्पेशल हर शनिवार को 19:00 बजे वडोदरा से प्रस्थान कर अगले दिन 20:45 बजे मऊ पहुँचेगी। यह ट्रेन 21 फरवरी 2026 से 28 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09196 मऊ – वडोदरा स्पेशल हर रविवार को 23:15 बजे मऊ से प्रस्थान कर मंगलवार को 00:45 बजे वडोदरा पहुँचेगी। यह ट्रेन 22 फरवरी 2026 से 29 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में दाहोद, रतलाम, कोटा, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं वाराणसी स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन संख्या 09195 का गोधरा स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव होगा।

इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

6. ट्रेन संख्या 09343/09344 डॉ. अंबेडकर नगर – पटना साप्ताहिक स्पेशल (10 फेरे)

ट्रेन संख्या 09343 डॉ. अंबेडकर नगर – पटना स्पेशल हर गुरुवार को 18:00 बजे डॉ. अंबेडकर नगर से प्रस्थान कर अगले दिन 18:30 बजे पटना पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 फरवरी 2026 से 26 मार्च 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09344 पटना – डॉ. अंबेडकर नगर स्पेशल हर शुक्रवार को 21:30 बजे पटना से प्रस्थान कर अगले दिन 23:55 बजे डॉ. अंबेडकर नगर पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 फरवरी 2026 से 27 मार्च 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में इंदौर, फतेहाबाद चंद्रावतीगंज, उज्जैन, मकसी, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा एवं दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09183, 09189, 09025, 09111, 09195 एवं 09343 की बुकिंग 19.02.2026 सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुलेगी। ठहराव एवं संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर देख सकते हैं।

पश्चिम रेलवे द्वारा खारबाव में नई अप एवं डाउन गूड्स लाइन के कमीशनिंग हेतु दिवा वसई रोड सेक्शन में ट्रैफिक ब्लॉक

(जीएनएस)। खारबाव में नई अप एवं डाउन गूड्स लाइन के कमीशनिंग कार्य के संबंध में दिवा – वसई रोड सेक्शन में 16 से 22 फरवरी, 2026 तक ब्लॉक लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ब्लॉक के कारण 21/22 फरवरी, 2026 को कुछ यात्री ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार हैः-

21 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 61007 वसई रोड – दिवा मेमू, जो वसई रोड से 15:35 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 69166 वसई रोड – पनवेल मेमू, जो वसई रोड से 16:40 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 61006 दिवा – वसई रोड मेमू, जो दिवा से 14:33 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
4. ट्रेन संख्या 69161 पनवेल – दहानू रोड मेमू, जो पनवेल से 19:05 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

22 फरवरी, 2026 को निरस्त रहने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 61001 बोइसर – वसई रोड मेमू, जो बोइसर से 08:35 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
2. ट्रेन संख्या 61002 डोंबिवली – बोइसर मेमू, जो डोंबिवली से 05:49 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।
3. ट्रेन संख्या 61003 वसई रोड – दिवा मेमू, जो वसई रोड से 09:50 बजे प्रस्थान करती है, निरस्त रहेगी।

विनियमित (रेगुलेट) की जाने वाली ट्रेनः-

ट्रेन संख्या 22718 सिकंदराबाद – राजकोट एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, उसे भिवंडी रोड पर 01:30 घंटे के लिए विनियमित किया जाएगा।

री-शेड्यूल की जाने वाली ट्रेनें:-

1. ट्रेन संख्या 11087 वेरावल – पुणे एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, वेरावल से अपने निर्धारित समय 11:05 बजे के बजाय 14:35 बजे प्रस्थान करेगी।
2. ट्रेन संख्या 22944 इंदौर – दौंड एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा 21 फरवरी, 2026 को प्रारंभ होगी, इंदौर से अपने निर्धारित समय 16:30 बजे के बजाय 18:30 बजे प्रस्थान करेगी।

"रेलवे कर्मचारियों के स्वस्थ भविष्य की दिशा में सार्थक पहल - डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा द्वारा दो दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर का सफल आयोजन"

(जीएनएस)। डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा (चिकित्सा विभाग) द्वारा मंडल कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2026 को कम्युनिटी हॉल, भावनगर परा में दो दिवसीय स्वास्थ्य जाँच शिविर का सफल आयोजन किया गया।

इस स्वास्थ्य शिविर का मुख्य उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य की समय पर जाँच कर उन्हें निवारक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। शिविर के दौरान कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की तथा स्वास्थ्य जाँच सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में कर्मचारियों को निम्नलिखित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं— रक्तचाप (Blood Pressure – BP) जाँच

रक्त शर्करा (Blood Sugar) परीक्षण

बीएमआई एवं वजन जाँच

सामान्य चिकित्सक परामर्श

निवारक स्वास्थ्य परामर्श एवं जीवनशैली संबंधी सुझाव

यह स्वास्थ्य शिविर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं मंडल रेलवे हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार के दिशा-निर्देशानुसार, डॉ. निमी लाल, सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी (ADMO), डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया।

चिकित्सा विभाग की समर्पित टीम द्वारा शिविर को सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। इस अवसर पर कर्मचारियों को नियमित स्वास्थ्य जाँच, संतुलित आहार, शारीरिक सक्रियता तथा तनाव प्रबंधन के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। कर्मचारियों ने इस उपयोगी एवं जनकल्याणकारी पहल के लिए चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस प्रकार, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल, भावनगर परा द्वारा आयोजित यह स्वास्थ्य जाँच शिविर रेलवे कर्मचारियों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास सिद्ध हुआ।

सुरक्षा, सतर्कता और सेवा का संगम,अहमदाबाद मंडल आरपीएफ का सराहनीय प्रदर्शन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवान यात्रियों के जीवन, सम्मान एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्क एवं प्रतिबद्ध हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने जनवरी 2026 के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण तथा जन-जागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करते हुए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। मंडल में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने हेतु विभिन्न अभियानों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की गईः

1. रेलवे अधिनियम के तहत कार्रवाईः विभिन्न धाराओं के अंतर्गत 2143 प्रकरण दर्ज किए गए तथा 1,70,700/- का जुर्माना वसूल किया गया।
2. ऑपरेशन रेल सुरक्षाः आरपी(यूपी) अधिनियम के अंतर्गत 05 प्रकरण दर्ज किए गए। सभी मामलों का पता लगाते हुए 17 बाहरी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
3. ऑपरेशन यात्री सुरक्षाः यात्री सामान चोरी के 03 आरोपियों को पकड़कर जीआरपी को सुपुर्द किया गया। इसके अतिरिक्त बीएनएस की विभिन्न धाराओं में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर जीआरपी को सौंपा गया।

4. सीसीटीवी के माध्यम से पहचानः सीसीटीवी निगरानी से यात्री सामान चोरी के 02 मामलों का सफलतापूर्वक पता लगाया गया।
5. ऑपरेशन नन्हे फरिश्तेः 12 असहाय नाबालिगों तथा 04 पुरुष/महिलाओं को सुरक्षित बचाकर उनके अभिभावकों/चाइल्डलाइन/पुलिस को सुपुर्द किया गया।
6. ऑपरेशन अमानतः 41 लावारिस/गुमशुदा सामान (मूल्य 14,55,320/-) बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया।
7. ऑपरेशन समय पालनः ट्रेनों की समयपालन व्यवस्था बेहतर बनाने हेतु विशेष अभियान चलाए गए, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत 181 मामले दर्ज कर 166 मामलों में कार्रवाई की गई।
8. ऑपरेशन सतर्कः 31,34,995/- मूल्य की अवैध शराब के 17 मामले पकड़े गए। 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी को सौंपा गया।
9. जन जागरण अभियानः पत्थरबाजी, नशाखोरी, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी आदि विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। बैनर, पीए सिस्टम से घोषणाएँ, ग्राम प्रधानों/सरपंचों के साथ बैठकें तथा अहमदाबाद स्टेशन पर रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क (RDN) के माध्यम से जागरूकता वीडियो प्रदर्शित किए गए।
10. ट्रेन एस्कॉर्टिंगः प्रतिदिन औसतन 15 महत्वपूर्ण रात्रिकालीन ट्रेनों में एस्कॉर्टिंग की गई। महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्रतिदिन औसतन 03 मिश्रित (महिला एवं पुरुष स्टाफ) एस्कॉर्ट पार्टियाँ तैनात रहीं।
11. लेवल क्रॉसिंग (एलसी) गेट मामलेः एलसी गेट क्षति के 09 मामले दर्ज किए गए, जिनमें सभी मामलों का पता लगाकर 09 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
12. रेल मददः सुरक्षा से संबंधित 666 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिन सभी का निस्तारण किया गया। औसत निस्तारण समय 0.08 मिनट रहा। प्राप्त 361 फीडबैक में से 339 यात्रियों ने उत्कृष्ट/संतोषजनक प्रतिक्रिया दी।
13. वारंट निष्पादनः रेलवे अधिनियम एवं आरपी(यूपी) अधिनियम के 74 वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया।

अहमदाबाद मंडल की आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षा एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर सतर्कता एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है।

भारत से यूरोप तक समुद्री सेतु: अदाणी पोर्ट्स और मार्सिले पोर्ट की साझेदारी से वैश्विक व्यापार को नई दिशा

(जीएनएस)। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संपर्क को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, जब अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड और मार्सिले फॉस पोर्ट ने सहयोग का ऐलान किया। यह समझौता केवल दो बंदरगाहों के बीच तकनीकी या व्यावसायिक साझेदारी नहीं है, बल्कि यह भारत और यूरोप के बीच आर्थिक, रणनीतिक और लॉजिस्टिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक दूरगामी कदम माना जा रहा है। इस सहयोग के माध्यम से दोनों पक्ष पोर्ट इनोवेशन, व्यापार सुगमीकरण, ऊर्जा परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत और कुशल बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत की भूमिका और अधिक प्रभावशाली हो सकेगी। इस साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा यानी भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा से जुड़ा हुआ है, जो एक बहुआयामी और महत्वाकांक्षी कनेक्टिविटी परियोजना है। लगभग 6,000 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर समुद्री मार्गों, रेल नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्वच्छ ऊर्जा मार्गों के माध्यम से भारत और यूरोप को सीधे जोड़ने का कार्य करेगा। इस परियोजना की परिकल्पना 2023 में नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, जिसमें भारत ने वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी को नए स्तर पर ले जाने का संकल्प लिया था। यह पहल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

अदाणी पोर्ट्स के पूर्णकालिक निदेशक और सीईओ अश्वनी गुप्ता ने इस समझौते को भारत के लिए एक रणनीतिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले ही इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है और पश्चिमी तट पर स्थित हजीरा और मुंद्रा जैसे बंदरगाहों ने इस मार्ग के प्रारंभिक और मध्य चरणों को सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। अब मार्सिले फॉस पोर्ट के साथ सहयोग से इस कॉरिडोर का अंतिम चरण भी जुड़ गया है, जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक

संपर्क पूरी तरह से एकीकृत हो गया है। यह कदम न केवल व्यापार की गति को तेज करेगा, बल्कि लॉजिस्टिक लागत को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

फ्रांस के मार्सिले फॉस पोर्ट के सीईओ हरवे मार्टेल ने भी इस साझेदारी को भविष्य के व्यापार के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि भारत और मार्सिले इस नए व्यापार मार्ग के दो महत्वपूर्ण छोर हैं और दोनों बंदरगाहों की जिम्मेदारी है कि वे इस कॉरिडोर को प्रभावी रूप से संचालित करें। उनका मानना है कि यह सहयोग बंदरगाहों के बीच समन्वय को मजबूत करेगा और व्यापारिक गतिविधियों को अधिक कुशल और टिकाऊ बनाएगा। इसके साथ ही, यह साझेदारी दोनों क्षेत्रों के बीच तकनीकी और सूचना आदान-प्रदान को भी तेज करेगी, जिससे व्यापारिक प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सकेंगी।

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू "आईएमईसी पोर्ट्स क्लब" की स्थापना का प्रस्ताव भी है, जिसका उद्देश्य इस कॉरिडोर से जुड़े प्रमुख बंदरगाहों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाना है। यह क्लब बंदरगाहों के बीच सूचना साझा करने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में मदद करेगा। इससे न केवल व्यापार की गति बढ़ेगी, बल्कि बंदरगाहों की क्षमता और दक्षता में भी सुधार होगा। यह पहल वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस साझेदारी का प्रभाव केवल भारत और फ्रांस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर पूरे यूरोपीय संघ और मध्य पूर्व क्षेत्र पर भी पड़ेगा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार पहले से ही तेजी से बढ़ रहा है, और इस नए कॉरिडोर के माध्यम से इसमें और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। यह कॉरिडोर पारंपरिक व्यापार मार्गों की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और लागत प्रभावी होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इसके अलावा, यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगी, जिससे भविष्य के टिकाऊ विकास को समर्थन मिलेगा।

इस समझौते का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक पहलू यह भी है कि यह भारत और फ्रांस के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते आर्थिक और राजनीतिक संबंधों का प्रतीक है। यह साझेदारी रक्षा, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करेगी। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग का स्तर और ऊंचा होगा, जो भविष्य में और अधिक संयुक्त परियोजनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो यह साझेदारी भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और उसकी वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका का प्रमाण है। भारत अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं रह गया है, बल्कि वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। इस तरह की परियोजनाएं भारत को वैश्विक व्यापार नेटवर्क में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी। इसके साथ ही, यह भारत के बंदरगाहों की क्षमता और तकनीकी दक्षता को भी बढ़ाएगा, जिससे वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें।

इस सहयोग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देगा। स्वच्छ ऊर्जा मार्गों और डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से यह कॉरिडोर पर्यावरण के अनुकूल व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को समर्थन मिलेगा। यह पहल वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी योगदान दे सकती है।

आर्थिक दृष्टिकोण से यह साझेदारी भारत के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। बंदरगाहों के विस्तार, लॉजिस्टिक सेवाओं में वृद्धि और नई तकनीकों के उपयोग से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। इसके अलावा, यह परियोजना भारत के निर्यात को बढ़ावा देगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

यह समझौता केवल एक व्यावसायिक साझेदारी नहीं है, बल्कि यह भारत और यूरोप के बीच एक नए आर्थिक युग की शुरुआत का संकेत है। यह सहयोग वैश्विक व्यापार को अधिक संतुलित, सुरक्षित और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले वर्षों में इस साझेदारी का प्रभाव और अधिक स्पष्ट होगा, जब भारत और यूरोप के बीच व्यापार और सहयोग नए शिखर पर पहुंचेगा।

अदाणी पोर्ट्स और मार्सिले पोर्ट के बीच यह सहयोग भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं और उसकी आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पहल न केवल भारत को वैश्विक व्यापार में एक मजबूत स्थिति दिलाएगी, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और रणनीतिक शक्ति को भी नई दिशा देगी। यह साझेदारी भविष्य के उस भारत की झलक प्रस्तुत करती है, जो वैश्विक व्यापार और कनेक्टिविटी का एक प्रमुख केंद्र बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

बर्फ, बारिश और बदलते तापमान का संगम: देशभर में मौसम ने बदली चाल, पहाड़ों से मैदान तक असर

(जीएनएस)। देशभर में मौसम इन दिनों एक अनोखा रूप लिए हुए है, जहां पहाड़ बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं तो वहीं कई राज्यों में बारिश ने जनजीवन की रफ्तार को प्रभावित किया है। मौसम की यह बदलती तस्वीर केवल प्राकृतिक सौंदर्य का संकेत नहीं है, बल्कि यह आने वाले दिनों में तापमान, कृषि, परिवहन और आम जनजीवन पर व्यापक प्रभाव डालने वाली स्थिति की ओर भी इशारा करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश के विभिन्न हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम का यह असामान्य परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसने पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक व्यापक प्रभाव डाला है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिन हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक का अहसास बढ़ गया। हालांकि मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सात दिनों तक यहां भारी बारिश की संभावना नहीं है और आसमान साफ रहने के साथ दिन में धूप खिली रहेगी। इसके बावजूद न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का प्रभाव बना रहेगा। यह बदलाव राजधानी के दैनिक जीवन, यातायात और स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है, क्योंकि अचानक तापमान में बदलाव से वायरल संक्रमण और सर्दी-जुकाम के मामलों में वृद्धि देखी जाती है।

उधर, पहाड़ी राज्यों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी ने प्राकृतिक सौंदर्य को और निखार दिया है। इन क्षेत्रों में पहाड़ पूरी तरह बर्फ की चादर में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे पर्यटकों के लिए यह दृश्य आकर्षण का केंद्र बन गया है। हालांकि, स्थानीय निवासियों के लिए यह स्थिति कई चुनौतियां भी लेकर आई है। सड़कों के बंद होने, बिजली और संचार सेवाओं के प्रभावित होने और दैनिक जीवन की गतिविधियों में बाधा आने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों को अनावश्यक

यात्रा से बचने की सलाह दी है।

मैदानी राज्यों में भी मौसम का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इन राज्यों में बारिश से जहां एक ओर किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर तापमान में गिरावट से ठंड का असर बढ़ सकता है। विशेष रूप से गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है, क्योंकि इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है।

राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम ने विशेष रूप से करवट ली है। राजधानी जयपुर सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। नरैना क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड का असर बढ़ गया। इसके अलावा बीकानेर, अजमेर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी मौसम का प्रभाव देखने को मिला है। शेखावाटी क्षेत्र में भी बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया है। यह बदलाव स्थानीय कृषि और जल संसाधनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

दक्षिण भारत में भी मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में आने वाले दिनों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी आशंका है, जिससे किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेज हवाओं और बिजली गिरने की घटनाएं भी संभावित खतरा बन सकती हैं, इसलिए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी है।

इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। समुद्री क्षेत्रों में मौसम का यह बदलाव मछुआरों और समुद्री परिवहन के लिए विशेष महत्व रखता है। समुद्र में ऊंची लहरें और तेज हवाएं नौवहन गतिविधियों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे मछुआरों को समुद्र में जाने से पहले सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तापमान के रुझानों पर नजर डालें तो उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। यह गिरावट ठंड के प्रभाव को बढ़ाएगी, विशेष रूप से सुबह और रात के समय। इसके बाद अगले पांच दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में तापमान स्थिर रहने के बाद धीरे-धीरे बढ़ सकता है, जबकि पश्चिमी भारत के राज्यों जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है।

मौसम के इस बदलते स्वरूप का प्रभाव केवल तापमान और वर्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज पर भी व्यापक असर डालता है। बर्फबारी से जहां जल स्रोतों में वृद्धि होती है और नदियों में जल स्तर बढ़ता है, वहीं बारिश से भूजल स्तर में सुधार होता है। यह स्थिति दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए सकारात्मक मानी जाती है। हालांकि, अत्यधिक बर्फबारी और बारिश से प्राकृतिक आपदाओं का खतरा भी बढ़ सकता है, जैसे भूस्खलन, बाढ़ और सड़क दुर्घटनाएं।

मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के पैटर्न में लगातार बदलाव हो रहा है। पहले जहां मौसम परिवर्तन एक निश्चित चक्र के अनुसार होता था, वहीं अब अचानक और अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यह स्थिति वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि इसके प्रभाव को समझना और उससे निपटने के उपाय तैयार करना आवश्यक हो गया है।

आने वाले दिनों में मौसम की यह स्थिति देशभर में जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेगी। कृषि, पर्यटन, परिवहन और दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और समय-समय पर चेतावनी और सलाह जारी कर रहे हैं। लोगों को भी सतर्क रहने और मौसम संबंधी जानकारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके।

मौसम का यह बदलता स्वरूप प्रकृति की शक्ति और उसकी अनिश्चितता का प्रतीक है। बर्फ से ढके पहाड़, बारिश से भीगे मैदान और बदलते तापमान हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति हमेशा गतिशील है और उसके साथ सामंजस्य बनाकर ही सुरक्षित और संतुलित जीवन संभव है। आने वाले दिनों में मौसम की यह विविधता देशभर में एक नई कहानी लिखेगी, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य और उसकी चुनौती दोनों शामिल होंगे।

देसी पेयों की ताकत से बदलेगा गुजरात का स्वास्थ्य भविष्य, मोटापा मुक्त समाज की ओर बढ़ता कदम

(जीएनएस)। गुजरात में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा 'हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी-फ्री गुजरात' अभियान अब एक जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है। बदलती जीवनशैली, असंतुलित खान-पान, तनाव और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण मोटापा आज समाज की सबसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बन चुका है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विशेषज्ञ पारंपरिक देसी पेयों और आयुर्वेदिक उपायों को अपनाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। यह पहल न केवल मोटापे को नियंत्रित करने में मदद कर रही है, बल्कि लोगों को अपनी जड़ों और पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों से जोड़ने का कार्य भी कर रही है।

आधुनिक जीवनशैली में फास्ट फूड, मीठे पेय और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन आम हो गया है, जिससे शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होती है और मोटापा बढ़ता है। मोटापा केवल शरीर के आकार को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। ऐसे में राज्य सरकार का यह अभियान लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस अभियान के तहत लोगों को यह बताया जा रहा है कि महंगे सप्लीमेंट्स और दवाओं की बजाय पारंपरिक और प्राकृतिक पेय भी वजन कम करने में प्रभावी हो सकते हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, देसी पेयों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे प्राकृतिक होते हैं और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालते। इनमें मौजूद पोषक तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाते हैं, जिससे शरीर की अतिरिक्त चर्बी धीरे-धीरे कम होने लगती है। ग्रीन टी को मोटापा घटाने के लिए सबसे प्रभावी पेयों में से एक माना जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं और फैट बर्न करने की प्रक्रिया को सक्रिय करते हैं। नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करने से न केवल वजन नियंत्रित रहता है, बल्कि शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती है और व्यक्ति अधिक सक्रिय महसूस करता है।

इसी प्रकार दालचीनी की चाय भी वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दालचीनी में मौजूद प्राकृतिक तत्व शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे भूख कम लगती है और अनावश्यक कैलोरी का सेवन घटता है। इसके अलावा, इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को अंदर से साफ करते हैं और लिवर को स्वस्थ रखते हैं। यह शरीर की पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाकर वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करता है।

छाछ भी एक ऐसा पारंपरिक पेय है, जो भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं और शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। छाछ शरीर को ठंडक प्रदान करती है और गर्म मौसम में विशेष रूप से लाभकारी होती है।

आस्था, सेवा और करुणा का संगम बना महालक्ष्मी शक्तिपीठ का महाशिवरात्रि महोत्सव

(जीएनएस)। सूरत के नया भटार स्थित श्री महालक्ष्मी शक्तिपीठ में आयोजित दो दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक सेवा का अद्भुत उदाहरण बनकर संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन ने न केवल श्रद्धालुओं को भगवान शिव की भक्ति में डुबोया, बल्कि समाज में सेवा, करुणा और मानवता के मूल्यों को भी सशक्त रूप से स्थापित किया। महंत भारत मुनि भारतीय के सानिध्य में संपन्न हुए इस पर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की और भगवान शिव एवं माता पार्वती के पावन विवाहोत्सव के साक्षी बने।

महाशिवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, तप, संयम और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक भी है। इस अवसर पर शक्तिपीठ परिसर में विशेष पूजा-अर्चना, महायज्ञ और भगवान शिव-पार्वती के विवाहोत्सव का आयोजन किया गया। विवाहोत्सव का दृश्य अत्यंत मनोहारी और

भावपूर्ण था, जिसमें भक्ति संगीत, वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक विधि-विधान के साथ शिव और शक्ति के पावन मिलन का प्रतीकात्मक आयोजन किया गया। श्रद्धालु इस दिव्य क्षण के साक्षी बनकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे।

इस आयोजन का एक विशेष और प्रेरणादायक पहलू मानव सेवा का संदेश था। महंत भारत मुनि भारतीय ने अपनी माता स्वर्गीय नर्मदा देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों की सहायता का संकल्प लेते हुए गरीब और असहाय लोगों को कंबल वितरित किए। यह सेवा कार्य इस बात का प्रतीक था कि सच्ची भक्ति केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं होती, बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कंबल वितरण के इस कार्यक्रम ने समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान की और उनमें सुरक्षा और सम्मान की भावना को मजबूत किया।

इसके साथ ही महाप्रसाद का भी विशाल आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाप्रसाद भारतीय धार्मिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समानता, भाईचारे और सामूहिकता का संदेश देता है। प्रसाद ग्रहण करते समय सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठते हैं, जिससे सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा मिलता है। इस आयोजन में भी यही दृश्य देखने को मिला, जहां सभी वर्गों के लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे थे।

धार्मिक आयोजन के साथ-साथ सामाजिक सेवा और जीव दया का संदेश भी इस महोत्सव की विशेषता रहा। आयोजकों द्वारा चित्तौड़गढ़, पुष्कर, उदयपुर और उज्जैन के विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में दान राशि भेंट की गई, जिससे वहां चल रहे धार्मिक और सेवा कार्यों को सहयोग मिल सके। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और अन्य धार्मिक संस्थानों की सहायता करना भी उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। जीव दया की भावना को साकार करते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए 1100 किलो अनाज और गौमाता के लिए 1100 किलो हरी घास का अनुदान दिया गया। भारतीय संस्कृति में पशु-पक्षियों को भी उतना ही महत्व दिया जाता है जितना मनुष्यों को। गौसेवा और पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना करुणा, संवेदनशीलता और सह-अस्तित्व का प्रतीक है। यह पहल समाज को यह संदेश देती है कि सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना हमारा कर्तव्य है।

सोना वायदा में 1296 रुपये और चांदी वायदा में 8011 रुपये का ऊछाल: क्रूड ऑयल वायदा में 78 रुपये की वृद्धि

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 172191.82 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 19080.54 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 153110.27 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का फरवरी वायदा 37500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 1771.71 करोड़ रुपये का हुआ। कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 14309.70 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 153303 रुपये के भाव पर खूलकर, 153554 रुपये के दिन के उच्च और 152501 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 151418 रुपये के पिछले बंद के सामने 1296 रुपये या 0.86 फीसदी की बढ़त के साथ 152714 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी फरवरी वायदा 1103 रुपये या 0.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 125061 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल फरवरी वायदा 153 रुपये या 0.99 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 15626 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी मार्च वायदा 150104 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 151590 रुपये और नीचे में 150104 रुपये पर पहुंचकर, 1337 रुपये या 0.89 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 150828 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन फरवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 152624 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153385 रुपये और नीचे में 152336 रुपये पर पहुंचकर, 151517 रुपये के पिछले बंद के सामने 1173 रुपये या 0.77 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 152690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 232929 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 238564 रुपये और नीचे में 232121 रुपये पर पहुंचकर, 228783 रुपये के पिछले बंद के सामने 8011 रुपये या 3.5 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 236794 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 8146 रुपये या 3.52 फीसदी की बढ़त के साथ 239657 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 8145 रुपये या 3.52 फीसदी की तेजी के संग 239667 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 19080.54 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 153110.27 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 14309.70 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 37500 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 3191.04 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा फरवरी वायदा 14.45 रुपये या 1.26 फीसदी बढ़कर 1165.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता फरवरी वायदा 1.55 रुपये या 0.49 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 320.65 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम फरवरी वायदा 2.05 रुपये या 0.67 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 305.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा फरवरी वायदा 20 पैसे या 0.11 फीसदी की नरमी के साथ 186.85 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 1532.41 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा 5658 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 5720 रुपये और नीचे में 5650 रुपये पर पहुंचकर, 78 रुपये या 1.38 फीसदी बढ़कर 5720 रुपये प्रति बैरल के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 79 रुपये या 1.4 फीसदी की तेजी के संग 5723 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस फरवरी वायदा 274.2 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 275.9 रुपये और नीचे में 272.7 रुपये पर पहुंचकर, 275.5 रुपये के पिछले बंद के सामने 1.1 रुपये या 0.4 फीसदी औंधकर 274.4 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी फरवरी वायदा 1.4 रुपये या 0.51 फीसदी औंधकर 274.3 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल फरवरी वायदा 960 रुपये पर खूलकर, 1.1 रुपये या 0.11 फीसदी घटकर 959 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 6062.71 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 8246.99 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 2716.09 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 225.82 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 10.08 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 234.09 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 813.07 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 705.43 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 3.66 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.45 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 8897 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 61187 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 32257 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 429895 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61774 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8767 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19281 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 64525 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20515 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 27141 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स फरवरी वायदा 37564 पॉइंट पर खूलकर, 37572 के उच्च और 37458 के नीचले स्तर को छूकर, 196 पॉइंट बढ़कर 37500 पॉइंट के स्तर पर कारोबार हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल मार्च 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 72.4 रुपये की बढ़त के साथ 311.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 60 पैसे की नरमी के साथ 7.75 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 252 रुपये की बढ़त के साथ 2020 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 77.5 रुपये की गिरावट के साथ 314 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1200 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 1.96 रुपये की बढ़त के साथ 7.42 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 340 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 16 पैसे की नरमी के साथ 0.25 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल मार्च 5700 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 32.5 रुपये की गिरावट के साथ 251.8 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस फरवरी 270 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 5 पैसे के सुधार के साथ 7 रुपये हुआ।

सोना फरवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 742 रुपये की गिरावट के साथ 1958 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी फरवरी 180000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 297.5 रुपये की गिरावट के साथ 441 रुपये हुआ। तांबा फरवरी 1100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2.44 रुपये की गिरावट के साथ 3.04 रुपये हुआ। जस्ता फरवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.24 रुपये की गिरावट के साथ 2.9 रुपये हुआ।